अखिल भारतीय सेवा प्रावधायी निधि योजना (ए0आई0एस पी0एफ)

प्रश्न 1 अखिल भारतीय सेवाऐं सामान्य प्राावधायी निधि योजना क्या है ?

उत्तर अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों के कल्याणार्थ एक योजना जिसमें मासिक बचत पर आकर्षक ब्याज की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के खाते सामान्य प्रावधायी निधि के अनुरूप ही संधारित किये जाते है।

प्रश्न 2 योजना कब से एवं किन पर लागू है ?

उत्तर यह योजना दिनांक 1.10.1979 से इस विभाग को स्थानान्तरित की गई । इससे पूर्व यह महालेखाकार द्वारा संधारित की जाती थी । योजना अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा) के राजस्थान संवर्ग के समस्त अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है।

प्रश्न 3 योजना के अन्तर्गत खातों की संख्या कितनी है ?

उत्तर इस योजना के अन्तर्गत खातों की संख्या 375 है।

प्रश्न 4 योजना के अन्तर्गत अंशदान की राशि क्या है ?

उत्तर योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मासिक अंशदान वेतन (टोटल इमोलुमेन्ट्स्) के 6 प्रतिशत के बराबर एवं अधिकतम मासिक अंशदान वेतन (टोटल इमोलुमेन्ट्स्) के बराबर हो सकता है। समय समय पर घोषित मंहगाई भत्ते की ऐरियर राशि भी इस खाते में जमा कराई जाती है।

प्रश्न 5 योजना के अन्तर्गत अंशदाता की पासबुकों के संधारण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर पासबुक का संघारण अंशदाता के कार्यालय द्धारा किया जाता है। इन पासबुकों को प्रति वर्ष माह जून जुलाई में विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है।

प्रश्न 6 योजना में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज दर क्या है ?

उत्तर वर्ष 2010–11 के लिये ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक है।

प्रश्न 7 योजना में अस्थाई आहरण के क्या प्रावधान है ?

उत्तर निम्नलिखित कारणों पर 50 प्रतिशत अथवा तीन माह का वेतन, दोनों में जो भी कम हो, के बराबर अस्थायी आहरण स्वीकृत किया जाता हैः–

1.अशंदाता की स्वंय की अथवा उस पर आश्रित व्यक्तियों की गम्भीर एवं लम्बी बीमारी के उपचार हेतु ।
2.अंशदाता एवम् उस पर आश्रित व्यक्तियों की उच्च शिक्षा हेतु ।
3.अंशदाता के परिवार में शादी, दाह संस्कार एवं अन्य सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु ।
4.भवन निर्माण एवं आवासीय भूखण्ड कय हेतु ।

प्रश्न 8 योजना में स्थाई आहरण के प्रावधान क्या है ?

उत्तर 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् निम्नलिखित कारणों पर स्थाई आहरण स्वीकृत किया जा सकता हैः–

1. **भवन निर्माण ,भवन खरीदने, भूमि खरीदने, भवन के पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्तन एवं परिवर्घन हेतु । उपरोक्त हेतु जमा का 75 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत स्वीकृत किया जा सकता है।**
2. **अंशदाता एवं उस पर आश्रित व्यक्तियों की उच्च शिक्षा अथवा गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु जमा का 50 प्रतिशत**

अथवा 6 माह का वेतन,जो भी कम हो, स्वीकृत किया जा सकता है।

3. पुत्र/पुत्री की शादी हेतु जमा का 75 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत स्वीकृत किया जा सकता है।
4. अधिवार्षिकी पर सेवानिवृति के 12 माह पूर्व कुल जमा का 90 प्रतिशत अथवा बिना किसी कारण स्वीकृत किया जा सकता है।
5. कृषि फार्म/व्यावसायिक आवास हेतु स्वीकृत प्राधिकारी जमा का 75 प्रतिशत स्वीकृत कर सकते है।
6. समूह बीमा योजना में दिये जाने वाले वार्षिक अभिदान के बराबर अन्तिम आहरण ।
7. मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर एवं मोपेड क्रय करने हेतु ।
8. मोटर कार की मरम्मत हेतु 10,000/– एवं मोटर साइकिल एवं स्कूटर की मरम्मत हेतु 5000/– स्वीकृत किये जा सकते है।

प्रश्न 9 अस्थाई/स्थाई आहरण की स्वीकृति की क्या प्रकिया है ?

उत्तर **स्वीकृति इस विभाग से अधिशेष की सूचना प्राप्त कर कार्मिक विभाग द्वारा जारी की जाती है, जिसकी एक प्रति विभाग को भेजी जाती है।**

प्रश्न 10 केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों के संबंध में अस्थाई/स्थाई आहरण की स्वीकृति की क्या प्रकिया है ?

उत्तर **केन्द्र सरकार से संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति जारी कर राशि आहरित कर भुगतान कर दी जाती है। इसके पश्चात् पुनर्भरण हेतु विभाग को लिखा जाता है। उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् बीमा विभाग द्वारा राशि आहरित कर संबंधित विभाग को ड्राफ्ट द्वारा भेजी जाती है।**

प्रश्न 11 सेवानिवृति/मृत्यु स्वत्व भुगतान की क्या प्रकिया है ?

उत्तर **1 स्वत्व प्रपत्र अधिवार्षिकी सेवानिवृति से तीन माह पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।**

2 मृत्यु, सेवामुक्ति अथवा सेवा त्यागने के तुरन्त बाद मनोनीत/अंशदाता द्वारा कार्मिक विभाग के माध्यम से स्वत्व प्रपत्र प्रेषित किया जाता है।

3 स्वत्व प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात् जमा राशि का अधिकार पत्र जारी करने हेतु पूर्व माह तक के ब्याज की गणना कर सम्पूर्ण राशि का अधिकार–पत्र संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों की राशि इस विभाग द्वारा आहरित कर ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी जाती है।

प्रश्न 12 मनोनीत को क्या लाभ देय है ?

उत्तर **अंशदाता की मृत्यु की दशा में जमा राशि के अतिरिक्त 10,000 रूपये अथवा पिछले तीन वर्षो में जमा का औसत, दोनों में जो भी कम हो, देय है।**